



MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 29.07.2026



1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर *415* वाहनों का चालान किया गया।

2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-* जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-*54* व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

3. “मिशन शक्ति ”- मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति महिलाओं, बालिकाओं में सुरक्षा व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरूक।

4. पैदल गश्त - श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश के क्रम मे पैदल गश्त के तहत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। जनपदीय पुलिस द्वारा धारा 34 पुलिस एक्ट मे *58* व 129 जी बीएनएसएस में 01 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

5. जन संवाद- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी

6. थानों द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण -

थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त निरंजन गुप्ता पुत्र झकरी निवासी पिपरा मौनी थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के पास से 11 टेटरा पैक बन्टी बबली देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 205/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रामरति पत्नी राजेन्द्र निवासी ग्राम टेढ़ी टोला

कानपुर नसरा थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के पास से 05 लीटर कच्चा शराब बरामद कर थाना स्थानाय पर मु0अ0सं0 182/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अभियुक्त शंकर पुत्र मुराली निवासी ग्राम टेढ़ी टोला कानपुर नर्सरी थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के पास से 07 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 183/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त केदारनाथ पुत्र गंगाप्रसाद निवासी लोहिया मार्केट वार्ड नं 18 आनन्द नगर थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के पास से 08 टेढ़ा पैक बन्टी बबली देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 206/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त शिवम साहनी उर्फ लालू पुत्र रमेश साहनी निवासी ग्राम डिगही थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के पास से 90 शीशी अवैध नेपाली किसमिश सौंफ शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 107/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. संदीप साहनी पुत्र सत्तन 2. उपेन्द्र उर्फ लाला पुत्र सत्तन निवासीगण औरहिया टोला सतकोठिया थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर 00/2026 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सर्फुद्दीन पुत्र असगर अली निवासी महेशपुर मेंहदहिया टोला चमैनिया थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर 00/2026 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

***7.* विवेचना निस्तारण-** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- *19* विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

***8.* जनपद में 28/29-07-2026 को विभिन्न अपराधों में कुल- 60 (शान्ति भंग) एवं आबकारी व अन्य मामलों सहित संबंधित समस्त अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।**